(203)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–147–एक / 2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–12–2004 पारित द्वारा आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–217 / निगरानी / 2004–05

.....

1– नत्यु कुम्हार तनय रामथनी कुम्हार

2– श्रीमती कलवतिया पत्नी नत्यु कुम्हार

निवासीगण–ग्राम रानीपुर(रामपुर खुर्द)

तहसील मझगवां, जिला– सतना(म0प्र0)

------आवेदकगण

विरूद्ध

कलुआ लोध तनय बलुआ लोध

निवसी–ग्राम पाथर कछार(रामपुर खुर्द)

तहसील मझगवां, जिला–सतना(म0प्र0)

------अनावेदक

.....

श्री श्यामलाल धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28-9-17 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–12–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा ग्राम रामपुर खुर्द की प्रश्नाधीन भूमि खसरा नंम्बर 139/2 रकबा 0.683 हैक्टर के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र नायब तहसीलदार, वृत्त बरौधा तहसील मझगवां के समक्ष प्रस्तुत किया । नायब तहसीलदार ने 31.12.2002 को आवेदकगण के नाम व्यवस्थापन का आदेश जारी किया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 31.12.2002 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर सतना के समक्ष प्रस्तुत की गई । जहां अपर कलेक्टर ने प्रकरण क्रमांक 01/अ-6/2003-04 में दिनांक 05.06.2004 से नायब तहसीलदार द्वारा पारित व्यवस्थापन का आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार की है। अपर कलेक्टर के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा आयुक्त रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। न्यायालय आयुक्त रीवा में प्रकरण क्रमांक 217/निगरानी/2003-04 पर पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 16.12.2004 द्वारा निगरानी निरस्त करते हुये अपर कलेक्टर के आदेश को यथावत रखा । आयुक्त रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के अभिभाषकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदकगण ने न्यायालय नायब तहसीलदार, मझगवां में ग्राम रामपुर खुर्द की प्रश्नाधीन भूमि खसरा नंम्बर 139/2 रकबा 0.683 हैक्टर के व्यवस्थापन किये जाने बावत आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर नायब तहसीलदार ने विधिवत इश्तहार जारी किये बिना ही आवेदकगण के हित में व्यवस्थापन का आदेश जारी किया । जबकि नायब तहसीलदार को चाहिये था कि व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व विधिवत इश्तहार जारी करते और यदि प्रकरण में कोई आपत्ति पेश होती तो उस आपत्ति का निराकरण वैधानिक रूप से किया जाता । इसके अतिरिक्त प्रकरण में संलग्न पंचनामा एवं खसरा खतौनी में अनावेदकगण का नाम अंकित है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का करीब 40 वर्षों से कब्जा दखल है। आवेदकगण ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया, जिससे

यह प्रमाणित हो सके कि उक्त भूमि पर उसे आधिपत्य प्राप्त है एवं वह मध्यप्रदेश का मूल निवासी है। किन्तु नायब तहसीलदार ने इन विधिक बिन्दुओं पर ध्यान दिये बिना ही आदेश पारित किया, जो अवैधानिक है। इसी कारण अपर कलेक्टर सतना ने नायब तहसीलदार के आदेश को त्रुटिपूर्ण माना तथा निरस्त किया है। आयुक्त रीवा ने विधिक बिन्दुओं पर ध्यान दिया है तथा प्रकरण में पूर्ण विवेचना कर विस्तारपूर्वक आदेश पारित करते हुये, अपर कलेक्टर के आदेश को न्यायोचित माना है एवं स्थिर रखा है। अतः आयुक्त रीवा द्वारा पारित किये गये आदेश में कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 16–12–2004 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,